रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012026-269150
CG-DL-E-07012026-269150

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2026/पौष 15, 1947
No. 54] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2026/PAUSHA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 61(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों के अनुपालन में ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
10	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20 [(बरही - कोडरमा से - झारखंड/बिहार सीमा खंड (पुराने एनएच-31 के किमी 0.00 से किमी 47.70) तक, बरही-हजारीबाग (पुराने एनएच-33 के किमी 0.000 से किमी. 40.500) तक और हजारीबाग से रांची (पुराने एनएच-33 के किमी 40.500 से कि. मी. 114.000 तक	झारखंड राज्य

	को छोड़कर], सं. 43 [रांची-गुमला खंड (पुरानी एनएच सं. 23 के किमी 2.90 से किमी 88.600 तक) और रांची-जमशेदपुर (पुरानी एनएच सं. 33 के किमी 114.000 से किमी 277.500) का रांची-चांडिल खंड और पुराने एनएच-78 के गुमला से झारखंड/छत्तीसगढ़ सीमा खंड) (24 किमी) तक को छोड़कर], सं. 114ए [किमी 85.081 से किमी 130.240 (बासुकीनाथ- देवघर खंड) तक को छोड़कर], सं. 133 [किमी 12.000 से किमी 93.000 (झारखंड/बिहार सीमा-महागामा-हंसडीहा खंड) तक को छोड़कर], सं. 133ए, सं. 139, सं. 143, सं. 143ए, सं. 143बी, सं. 143एजी, सं. 218, सं. 220, सं. 320डी, सं. 320जी, सं. 333, सं. 333ए, सं. 343, सं. 419 और सं. 522 के उतने भाग जो कि ओडिशा राज्य में अवस्थित हैं।	सरकार।”

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.-5671(अ), तारीख 08 दिसंबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच- 14013/4/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 61(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“10	So much of New National Highways No. 20 [(Excluding from Barhi- Koderma- upto Jharkhand/ Bihar border section (Km. 0.00 to Km. 47.70 of old NH-31), from Barhi-Hazaribagh (km. 0.000 to km. 40.500 of old NH-33) and from Hazaribagh to Ranchi (km. 40.500 to km. 114.000 of old NH-33], **No.43** [Excluding from Ranchi- Gumla Section (km 2.90 to km 88.600 of old NH No. 23) **and Ranchi-Chandil section of Ranchi-Jamshedpur (km. ll4.000 to km.277.500 of old NH No. 33) and Gumla to Jharkhand/Chhattisgarh Border section) (24km) of old NH-78],** No.114A [excluding from Km. 85.081 to Km. 130.240 (Basukinath- Deoghar section)], **No.133 [excluding from Km. 12.000 to km. 93.000 (Jharkhand/Bihar border-Mahagama-Hansdiha section)],** No. 133A, **No. 139**, No. 143, No. 143A, No. 143B, **No. 143AG**, No. 218, No. 220, No. 320D, No. 320G, No. 333, No. 333A, No. 343, No. 419 and No.522 as are situated within the State of Jharkhand.	State Government of Jharkhand.”

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 5671 (E), dated the 08th December, 2025.

[F. No. NH-14013/4/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 62(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज/लंबाई किमी में
(1)	(2)	(3)
रारा -22 (पुराना रारा-99)	झारखंड/बिहार बॉर्डर- चंदवा खंड (झारखंड राज्य में)	झारखंड राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग
133बी	साहेबगंज से झारखंड/बिहार सीमा (झारखंड राज्य में)	झारखंड राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग
रारा -43 (पुराना रारा-78)	छत्तीसगढ़/झारखंड सीमा से गुमला (झारखंड राज्य में)	24.00 किमी

[फा. सं. एनएच- 14013/4/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 62(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage/ length in km
(1)	(2)	(3)
NH-22 (Old NH-99)	Jharkhand/Bihar border- Chandwa Section (In the State of Jharkhand)	Entire NH in the State of Jharkhand
133B	Sahebganj to Jharkhand/Bihar border (In the State of Jharkhand)	Entire NH in the State of Jharkhand
NH-43 (Old NH-78)	Chhattisgarh/Jharkhand border to Gumla (In the State of Jharkhand)	24.00 km

[F. No. NH-14013/4/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 63(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या 3230 (अ) दिनांकित 16 अक्तूबर, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3642 (अ), दिनांकित 16 अक्तूबर, 2020 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 63(E).— In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3642(E), dated the 16th October, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary No. 3230 dated 16th October, 2020, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/4/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 64(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2365(अ), दिनांकित 23 मई, 2022 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका के कॉलम सं. (1), (2) और (3) में क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए :-

नई रारा सं. 133	**(महागामा-हंसडीहा खंड)** (झारखंड राज्य में)	**किमी. 41.900 से किमी. 93.000**

कॉलम सं. (1), (2) और (3) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

नई रारा सं. 133	**(झारखंड/बिहार सीमा-महागामा-हंसडीहा खंड)** (झारखंड राज्य में)	**किमी. 12.000 से किमी. 93.000**

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 2365(अ), दिनांकित 23 मई, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 64(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2365(E), dated the 23rd May, 2022, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

New NH No. 133	**(Mahagama-Hansdiha section)** (In the State of Jharkhand)	**Km. 41.900 to km. 93.000**

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

New NH No. 133	**(Jharkhand/Bihar border-Mahagama-Hansdiha section)** (In the State of Jharkhand)	**Km. 12.000 to km. 93.000**

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 2365(E), dated the 23rd May, 2022.

[F. No. NH-14013/4/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.07 15:29:09 +05'30'